FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0241 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/08/2026 17:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 23/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/02/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/08/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/08/2026 17:50:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 190 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
      (b) **Address(पता):** POLICE THANA VIJANAGAR, JIAL BEAWAR
      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAILASH CHAND BHANBI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SANWAR LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BARAL, VIJAY NAGAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BARAL, VIJAY NAGAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHAN KUMAR		पिता:GANDHIRAM	1. WARD NO.5,,GRAM BHAGWAN POST DEIDAS,NOHAR,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
2	SUSHIL KUMAR SAHU		पिता:KAILASH CHAND	1. BANK OF BARODA KE PASS, BARAL,VIJAY NAGAR,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. भीलवाडा प्रथम सुखाडिया सर्किल अजमेर रोड। विषय – पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत बाबत। मान्यवर, निवेदन है कि मेरा नाम कैलाश चन्द्र पुत्र श्री सांवरलाल जाति भांबी उम्र 29 साल निवासी बरल पुलिस थाना विजयनगर जिला ब्यावर का निवासी हूं। मैं पेशे से खेती बाडी व ट्रेक्टर चलाता हूं, मेरा एक ट्रेक्टर रजि0 नं0 आरजे 21 आर एल 2994 है, दिनांक 19.02.2026 को मैं ट्रेक्टर लेकर रात्रि में 11.30 पीएम पर खारी नदी में गया था। मैने वहॉ ट्रेक्टर खड़ा कर के मै चाय लेने मोटरसाईकिल से 27 मिल चौराहे पर आया। वहा पर एक प्राईवेट केम्पर में पुलिस थाना विजयनगर के कानि0 श्री किशन कुमार आया तथा मुझे धमकाकर जबरदस्ती केम्पर में बैठाकर मुझे थाने में लाकर बन्द कर दिया। इसके बाद किशन कुमार कानि0 स्वयं ने खारी नदी से ट्रेक्टर भरवाकर थाने में लाकर बन्द कर दिया, तथा मेरे पर्स में रखे 6000/-रू में से 5000/-रू. निकाल लिये। तथा कहा की तुम्हारे उपर अवैध बजरी परिवहन का मुकदमा लगेगा। मैने हाथाजोडी की आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यो कर रहे है तो कहा की 50000/-रू. दे देना नही तो मुकदमा लगेगा मेरे से किशन कुमार ने 50000/-रू. रिश्वत की मांग की मे मेरे जायज काम की ऐवज में कानि0 श्री किशन कुमार को 50000/-रू. रिश्वत नही देना चाहता हूं। बल्कि ऐसे पुलिस वाले को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री किशन कुमार कानि0 से कोई रंजिश नही है। मेरे ट्रेक्टर को थाने में खड़ा करवाने की कोई रसीद भी मुझे नही दी। किशन कुमार कानि0 को मै 50000/-रू. कि रिश्वत राशि नही दूगा तो मुझे वो किसी भी झुठे केस में फसाकर परेशान करेगा रिपोर्ट करता हॅू, कार्यवाही करे। प्रार्थी एस.डी कैलाश चन्द्र भांबी 23.2.2026 नाम कैलाशचन्द पिता श्री सांवरलाल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बरल, तहसील विजय नगर जिला ब्यावर मोबाईल नम्बर संलग्न – 1. श्री कैलाश चन्द्र के नाम पर ट्रेक्टर नम्बर आर.जे21 आर.एल. 2994 की आर.सी. की प्रति 2. श्री कैलाश चन्द्र के आधार कार्ड की प्रति कार्यवाही पुलिस – कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 23.02.2026 समय 03.30 पी.एम उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट परिवादी श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री सांवरलाल जाति भांबी उम्र 29 साल निवासी बरल थाना बिजयनगर जिला ब्यावर नें उपस्थित कार्यालय होकर मन पारसमल उप अधीक्षक के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियापत की तो परिवादी ने बताया कि मैं दसवीं कक्षा तक पढा लिखा हुं। पेशे से खेती बाडी का काम करता हुं, तथा ट्रेक्टर चलता हुं। प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध मे पूछने पर बताया कि यह रिपोर्ट मैं भीलवाडा कोर्ट से टाईप करवा कर लाया हुं। इसमें लिखी हुई सारी बात सही है। परिवादी ने बताया कि मेरे नाम से एक महिन्द्रा ट्रेक्टर है, जिसका संचालन मै ही करता हुं। ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 21 आर.एल. 2994 है। जिसको लेकर मै दिनांक 19.02.2026 को खारी नदी में गया था तथा मैने ट्रेक्टर को नदी मे छोडकर 27 मील चौराहे पर चाय लेने के लिए रात्रि 01 बजे करीबन आया था। उसी समय पुलिस थाना बिजयनगर के कानिस्टेबल श्री किशन कुमार बेल्ट नम्बर 613 एक प्राईवेट केम्पर लेकर मेरे पास आया तथा मुझे धमकाया कि तु अवैध बजरी परिवहन करता है तथा पीछे से मेरी गर्दन पकडकर जबरदस्ती मुझे केम्पर मे बैठा दिया। केम्पर मे 02 अन्य व्यक्ति रॉयल्टी वाले आदमी थे। इसके बाद कानिस्टेबल किशन कुमार ने मुझे बिजयनगर थाने मे लाकर बंद कर दिया तथा मेरे पर्स मे रखे 6000 रूपये मे से 5000 रूपये निकाल लिये। इसके बाद किशन कुमार ने स्वंय ने ही मेरे ट्रेक्टर मे बजरी भरकर सुबह 04.00 बजे थाने मे खडा कर दिया। मुझे दुसरे दिन तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष पेश किया जहॉ से मेरी जमानत हो गयी। किशन कुमार ने मुझे कहा कि तुम 50000 रूपये लेकर आ जाओ तो तुम्हारा केश नही बनाउंगा। किशन कुमार कानिस्टेबल ने मेरे से मेरे उपर अवैध बजरी परिवहन का केस नही बनाने की ऐवज मे 50000 रूपये रिश्वत की मांग की। मेरी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल से कोई रंजिश नही है, और ना ही कोई लेनदेन बकाया है। किशन कुमार कानिस्टेबल को मैं 50000 रूपये रिश्वत राशि नही दुंगा तो वह मुझे ज्यादा परेशान

करेगा तथा मुझे किसी ना किसी झुठे केस मे फसायेंगा। मै आपको मेरे आधार कार्ड व ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन की प्रति पेश कर रहा हुं। किशन कुमार कानिस्टेबल ने मुझे सुबह व्हाटसअप पर मोबाईल नम्बर से कॉल कर शाम को मिलने के लिए बुलाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दरियापत से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को एस.ओ. के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को कानिस्टेबल के पास जाकर अपने कार्य के संबंध मे बात कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि मै अभी जाकर रिश्वत मांग का सत्यापन एवं वार्ता को रिकार्ड कर लुंगा। समय 4.30 पी.एम. पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल श्री राजवीर सिंह 58 को मेरे कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादी श्री कैलाशचन्द से आपस मे परिचय करवाया तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवा कर परिवादी के साथ जाकर एस.ओ. से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकार्डर में रिकार्ड करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात श्री रामपाल सउनि से मालखाने से डिजीटल वोईस रिकार्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिस पर श्री रामपाल सउनि ने एक 64 जीबी नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी अल्ट्रा कम्पनी का लाकर पेश किया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वोईस रिकार्डर को चालु बंद करने की प्रक्रिया समझाई गयी तथा परिवादी व कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर आपस मे साझा किये गये। डिजीटल वोईस रिकार्ड मे नया मैमोरी कार्ड लगा कर कानिस्टेबल श्री राजवीर 58 को जरिये फर्द सुपूर्दगी सुपूर्द किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 05.00 पी.एम. पर कानि श्री राजवीर 58 को परिवादी श्री कैलाशचन्द के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी की कार से बिजयनगर की तरफ रवाना किया तथा कानि. श्री राजवीर सिंह को निर्देश दिये कि आप परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता मे भेजने से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकार्डर को अच्छी तरह से चालू कर सुपूर्द करे तथा परिवादी के एस. ओ. से वार्ता करने जाते व आते को देखने व सुनने का प्रयास करे तथा एस.ओ. की आम शौहरत के बारे में भी गोपनीय जानकारी करें। समय 09.05 पी.एम. पर कानि श्री राजवीर 58 मय परिवादी श्री कैलाशचन्द के उपस्थित कार्यालय आये तथा कार्यालय का डिजीटल वोईस रिकार्डर कानि श्री राजवीर सिंह 58 ने मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। कानि श्री राजवीर सिंह 58 ने बताया कि निर्देशानुसार मै तथा परिवादी उसकी कार से कार्यालय से रवाना होकर गुलाबपुरा 29 मील के पास पहुंचे जहां परिवादी श्री कैलाशचन्द ने अपनी मोटरसाईकिल मंगवायी। तत्पश्चात गुलाबपुरा से ही परिवादी श्री कैलाशचन्द द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से कानिस्टेबल श्री किशन कुमार के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सअप कॉल पर व साधारण कॉल किया मगर कानिस्टेबल किशन कुमार ने कॉल नही उठाया। तत्पश्चात कानिस्टेबल श्री किशन कुमार ने परिवादी श्री कैलाशचन्द को समय 6.29 पीएम पर व्हाट्सअप मैसेज कर थाने पर बुलाया जिस पर हम दोनो बिजयनगर थाने के पास पहुंचे तथा थाने से थोडा पहले रूककर मैने परिवादी को डिजीटल वोईस रिकार्डर चालू करके दिया जिस पर परिवादी ने अपने पास शर्ट के उपर की बॉयी जेब मे रख लिया तथा वार्ता करने के लिए थाने पर भिजवाया मै थाने के आस पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम हुआ। परिवादी द्वारा कानि किशन कुमार का थाने के बाहर इंतजार किया मगर कानिस्टेबल किशन कुमार बाहर नही आया व ना ही कॉल उठाया जिससे परिवादी रवाना हो वापस मेरे पास आया तथा कहा कि अभी किशन कुमार जी मेरे से मिले नही है। मै तथा परिवादी दोनो थाने के आस पास ही रूके समय 7.20 पर कानिस्टेबल किशन कुमार ने व्हाट्सअप कॉल करके परिवादी श्री कैलाशचन्द को थाने के बाहर बुलाया जिस पर परिवादी को पुनः डिजीटल वोईस रिकार्डर चालू कर थाना बिजयनगर कि तरफ समय 7.25 पीएम पर रवाना किया जिस पर परिवादी ने थोडी देर बाद ही आकर कहा कि किशन कुमार जी ने मुझे तहसील कार्यालय कि ओर बुलाया है जिस पर परिवादी एसओ के पीछे पीछे तहसील कार्यालय की ओर मोटरसाईकिल से रवाना हुआ तथा मै परिवादी की कार से तहसील कार्यालय रवाना होकर तहसील कार्यालय से थोडा पहले रूका तथा परिवादी के आने का इंतजार किया। करीबन 50 मिनट बाद तहसील कार्यालय से मेरे पास आया तथा मुझे रिकार्डर सुपूर्द किया तथा कहा कि मेरी तथा कानि किशन कुमार जी की तहसील कार्यालय के अंदर बातचीत हुई है जो आपके डिजीटल वोईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो चुकी है तत्पश्चात मैने डिजीटल वोईस रिकार्डर को बंद कर मेरे पास सुरक्षित हालत में रख लिया। तत्पश्चात बिजयनगर से रवाना होकर कार्यालय मे उपस्थित आये। ततपश्चात मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से बातचीत की तो बताया कि मै तथा राजवीर जी आपके कार्यालय से रवाना होकर कार से गुलाबपुरा 29 मील पहुंचे तथा कानिस्टेबल किशन कुमार जी को मेरे मोबाईल से व्हाट्सअप कॉल व साधारण कॉल किया तो थोडी देर बात किशन कुमार जी का मेरे फोन पर मैसेज आया तथा मुझे थाने पर बुलाया जिस पर मै तथा राजवीर जी बिजयनगर थाने के पास पहुंचे तथा राजवीर जी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकार्डर चालु करके दिया जिसको मैने मेरे पास शर्ट की उपर की बॉयी जेब मे सुरक्षित रखा तथा मेरे काम से संबंधित बातचीत करने के लिए थाने के पास पहुंचा मै काफी देर तक वहा किशन कुमार जी का इंतजार किया मगर वो नही आये मै थोडी देर रूककर वापस आ गया। इसके बाद मेरे मोबाईल पर किशन कुमार का व्हाट्सअप कॉल आया व थाने के बाहर बुलाया। जिस पर राजवीर जी ने मुझे पुनः डिजीटल वोईस रिकार्डर चालु करके दिया जिसको मैने मेरे पास मेरी शर्ट की बॉयी जेब मे रखकर थाने के पास पहुंचा तो किशन कुमार थाना परिसर मे ही मुझे मिला तो मुझे कहा कि आप 27 मील की तरफ आ जाओ इसके बाद मैं मोटरसाईकिल लेकर उनके पीछे पीछे रवाना हुआ और किशन कुमार जी के पीछे पीछे तहसील कार्यालय बिजयनगर

पहुंचा मेरे पीछे पीछे राजवीर जी भी मेरी कार लेकर तहसील कार्यालय के पास आ गये। मैने तहसील कार्यालय मे कानिस्टेबल श्री किशन कुमार से मेरे काम के संबंध मे बातचीत की तो श्री किशन कुमार जी ने मुझे कहा कि बात सीआई साहब तक चली गयी है। मै सीआई साहब से बात कर रहा हुं 50000 रूपये लगेंगे तब मैने किशन कुमार जी से निवेदन किया कि 50000 रूपये तो ज्यादा हो जायेंगे 5000 रूपये तो आपको पहले ही दे दिये तो किशन कुमार ने कहा कि वो तो 151 की कार्यवाही के थे, मैने फिर काफी निवेदन किया तो कहा कि 30000-35000 रूपये ले आना और कहा कि 2-3 ट्रेक्टर और चला लेना तुम्हारी भरपाई हो जायेगी। इसके बाद मैं तहसील कार्यालय बिजयनगर से रवाना होकर राजवीर जी के पास आया तथा डिजीटल वोईस रिकार्डर उनको सुपूर्द किया। इसके बाद बिजयनगर से रवाना होकर भीलवाडा एसीबी कार्यालय पहुंचे। तत्पश्चात मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वोईस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ताओ को चालु कर सुना तो उक्त रिकार्ड वार्ता मुल मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड नही होकर डिजीटल वोईस रिकार्डर में REC/FILE के FOLDER01 मे रिकार्ड होना पायी गयी। कानिस्टेबल श्री किशन कुमार द्वारा परिवाद श्री कैलाशचन्द से तहसील कार्यालय बिजयनगर मे हुई वार्ता में कहता है कि अभी लाया क्या बीस, तीस, पचास तब परिवादी कहता है कि पचास तो कौने पांच तो पहले ही दे दिये तब आरोपी किशन कुमार कानिस्टेबल कहता है कि वो तो तेरे 151 का था आगे वार्ता में कहता है कि तेरे खुद के 3-4 ट्रेक्टर है 5-6 दिन चलायेगा तो तेरे माईनिंग वाईनिंग सब करवा दुंगा मेरे हाथ मे चार्ज आने दे एक बार सबको राजी रखना है। इस पर परिवादी कैलाशचन्द कहता है कि बता दिया मगर पोसाई थोडी सर इस पर आरोपी किशन कुमार कहता है कि अतरा कोनी थारे लिये 30-35 कोने ज्यादा 30-35 खुब है। अतः परिवादी द्वारा बताये हुए तथ्यो की पुष्टि हुई। रिकार्ड वार्ताओ ओर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी किशन कुमार ने परिवादी श्री कैलाशचन्द के थाने मे बंद ट्रेक्टर व परिवादी के खिलाफ मुकदमा टालने की ऐवज में तीस से पैतीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग की तथा परिवादी को दिनांक 19.02.2026 को बंद करने (151 सीआरपीसी की कार्यवाही के दौरान) पर पांच हजार रूपये रिश्वत राशि लिये जाने के संबंध मे वार्ता रिकार्ड हुई है। परिवादी से थाने के बाहर व थाने पर अन्य व्यक्ति की आवाज (पुलिसकर्मी से हुई वार्ता) के संबंध में पुछा तो बताया कि पहले मेरी शंकर लाल जी कानिस्टेबल व उसके बाद में राजवीर कानिस्टेबल से बातचीत हुई थी। उपरोक्त वार्ताओ से परिवादी श्री कैलाशचन्द के थाने मे बंद ट्रेक्टर व परिवादी के खिलाफ मुकदमा टालने की ऐवज में तीस से पैतीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग का सत्यापन होना पाया गया है। परिवादी को कल दिनांक 24.02.2026 को रिश्वत राशि का व्यवस्था कर कार्यालय मे आने की हिदायत दी तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित डिजीटल वोईस रिकार्डर को मन् पारसमल उप अधीक्षक के पास अलमारी मे सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी को रूखस्त किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। समस्त स्टाफ को प्रातः 8.00 ए. एम. पर उपस्थित होने के निर्देश दिये आईन्दा गवाहान की उपस्थिति में मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। दिनांक 24.02.2026 समय 11.00 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार उ.नि. को जरिये पत्र क्रमांक 249 दिनांक से 24.02.2026 से गोपनीय राजकार्य हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी के नाम तहरीर मुर्तिब कर जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा रवाना किया गया। समय 1.05 ए.एम. पर श्री राजेश कुमार उ.नि. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी भीलवाडा के आदेश क्रमांक प0/आब./संस्था/2025-26/231 दिनांक 24.02.2026 से दो स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री शिवसिंह चौहान उम्र 41 साल निवासी आमदला थाना करेडा जिला भीलवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा व श्री अनिल कमार पुत्र श्री मंगल कुमार सोलंकी उम्र 45 साल निवासी मंगरोप थाना मंगरोप जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा के उपस्थित कार्यालय आये। समय 02.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री शिवसिंह चौहान उम्र 41 साल निवासी आमदला थाना करेडा जिला भीलवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा व श्री अनिल कमार पुत्र श्री मंगल कुमार सोलंकी उम्र 45 साल निवासी मंगरोप थाना मंगरोप जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा को पाबंद कर रूखस्त किया गया। दिनांक 25.02.2026 समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री कैलाश चन्द उपस्थित कार्यालय आया। जिसे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 09.45 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अनिल कमार कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा उपस्थित आये। जिनको कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 10.00 ए. एम. पर परिवादी श्री कैलाश चन्द को मन पारसमल उप अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी मन उप अधीक्षक के कक्ष में बुलाकर की जाने वाली गोपनीय ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर स्वतन्त्र गवाह बनने के संबंध में मौखिक सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात परिवादी श्री कैलाश चन्द से दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट को पढकर सुनाकर दोनो गवाहान के तहरीरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। गवाहान व परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 10.15 ए.एम. पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉइस रिकार्डर को निकाला गया तथा दिनांक 23.02.2026 को परिवादी श्री कैलाशचन्द व आरोपी किशन कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना विजयनगर जिला ब्यावर के मध्य मोबाईल पर व रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है।

उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री कैलाशचन्द ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री किशन कुमार कानि व अन्य आवाजों की पहचान की । रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि 88 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वोईस रिकार्ड मे दर्ज वार्ताओं को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी के तैयार किये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क A दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क A-1 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सभी सिल्ड् पैकेट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 34 अंकित की गई। शिल्ड पैकिट आर्टिकल मन पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। समय 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री कैलाश चन्द को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर गवाहान के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उक्त सभी नोटो पर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि 305 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सभी नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित किये गये। फर्द मेरे निर्देशन मे श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से तैयार करवायी गयी। श्री भूपेन्द्र कानि 305 को कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये। समय 04.45 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि 15, मय प्राईवेट वाहन से श्रीमति कल्पना बंशीवाल पुनि मय श्री राजेश उनि, श्री नेमीचन्द सउनि, श्री शिवराज कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो से व श्री रामपाल सउनि मय श्री प्रेमराज कानि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री नारायण लाल कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर के एवं श्री राजवीर कानि को कार्यालय का डीवीआर मय 64 जी.बी नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये तथा श्री नारायण लाल कानि को कार्यालय का मोबाईल मय 64 जी.बी नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग करने के निर्देश देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु विजयनगर की ओर रवाना हुए। समय 05.45 पी.एम पर पारसमल उप अधीक्षक, मय परिवादी, मय एसीबी टीम मय स्वतन्त्र गवाहान के प्राईवेट वाहन एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य विजयनगर स्थित वकील कॉलोनी के सामनें पहूंचे तथा एस.ओ. के फोन कॉल के ईन्तजार में मुकीम हुए। समय 06.30 पी. एम पर मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपने फोन से एस.ओ. के फोन पर वार्ता करवाकर लोकेशन जानने के लिये परिवादी के फोन से एस.ओ. को कॉल करवाया गया तो एस.ओ. ने परिवादी को सामान्य कॉल व वॉट्स-अप वॉईस कॉल रिसीव नही किया, तथा परिवादी को मिलनें के लिये मैसेज कर मना कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात् ही परिवादी के फोन पर मोबाईल नम्बर   से उसके परिचित श्री सुशील साहू ने जरिये वॉटस-अप वॉईस कॉल पर कॉल करके कहा कि ''तुम उनके फोन क्यों कर रहे हो, मैं तेरे को फ्री होकर फोन करता हूं'' उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर श्री राजवीर कानि0 से रिकॉर्ड करवाया गया। इस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक ने परिवादी श्री कैलाश चन्द से पूछा की यह नम्बर किसके है तथा यह आपको किसके फोन करने के संबंध में बात कर रहा है। तब परिवादी ने बताया कि श्री सुशील साहू मेरा भी परिचित है लेकिन यह श्री किशन कुमार कानि0 के लिये दलाली एवं कलेक्शन का काम करता है। तत्पश्चात् श्री सुशील साहू पुनः फोन कर परिवादी को बातचीत के लिये 27 मील चौराहे की तरफ बुलाता है तथा 27 मील पहूंचने के बाद फोन करने की कहता है। इसी बीच श्री सुशील साहू व परिवादी के मध्य कई बार व्हाट्सएप्प वॉइस कॉल से वार्ता हुई जो डीवीआर में रिकॉर्ड की गई। तत्पश्चात् मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को दो मोटर साईकिल की व्यवस्था करने की कहने पर परिवादी ने दो मोटर साईकिल मंगवाई तथा परिवादी के साथ श्री राजवीर कानि0 तथा अन्य मोटर साईकिल पर श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 व श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि0 को परिवादी के पीछे-पीछे 27 मील की ओर रवाना कर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी टीम के 27 मील की ओर रवाना हुए तथा श्री राजवीर कानि0 को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। परिवादी ने बताया कि श्री सुशील साहू, कानि0 श्री किशन कुमार का खास आदमी है तथा वह बातचीत के दौरान मुझे पैसों के लेन-देन के लिये थाने पर भी ले जा सकता है तथा मेरी जेब की तलाशी भी ले सकता है। जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी के पहने हुए शर्ट को उतरवाकर रिकॉर्डर को दाहिने हाथ ऑर्म्स के नीचें टेप से लपेटकर सुपुर्द किया तथा परिवादी को शर्ट पहनाया जाकर मध्यस्त व्यक्ति श्री सुशील साहू से वार्ता करने के लिये रवाना किया गया। मन् पारसमल उप अधीक्षक मय गवाहान के परिवादी के पीछे बरल गांव के रास्ते से थोडा पहले रूककर परिवादी के परिवादी के निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में मुकीम हुवें तथा परिवादी व मध्यस्थ श्री सुशील साहू के मध्य हो रही वार्ता को मन् पारसमल

उप अधीक्षक मय एसीबी टीम के साथ देखा तथा श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि0 व श्री राजवीर कानि0 को परिवादी व संदीग्ध के मध्य हो रही वार्ता को देखने के सुनने के निर्देश दिये। समय 08.50 पी.एम पर परिवादी श्री कैलाश चन्द अपनी मोटर साईकिल से बिना कोई निर्धारित ईशारा किये बरल गांव की तरफ रवाना हो गया। तत्पश्चात् एसीबी टीम मय मन पारसमल उप अधीक्षक परिवादी के पीछे-पीछे बरल गांव के रास्ते पर परिवादी के पास पहूंचा तथा परिवादी से बातचीत की तो परिवादी ने बताया कि श्री सुशील साहूं ने मेरे से पैसे नही लिये है तथा सुबह श्री किशन कुमार कानि0 से बात कराने के लिये कह रहा है। जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि0 को परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद करने के निर्देश दिये तथा रिकॉर्डर मन् पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरे फोन करने के उपरान्त भी श्री किशन कुमार कानि0 ने कोई जवाब नही दिया तथा मिलने के लिये भी मना कर दिया है, हो सकता है कहीं न कहीं श्री किशन कुमार कानि0 को एसीबी कार्यवाही की शंका हो सकती है। जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि नोट 30,000/- रूपये लेकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे रखी गई तथा परिवादी श्री कैलाश चन्द को निर्देश दिये कि श्री किशन कुमार कानि0 या उसके परिचित व्यक्ति श्री सुशील साहू जब भी रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में आपसे बात करें या रिश्वत राशि ग्रहण करने के लिये आपको बुलाये तब मुझ उप अधीक्षक को जरिये टेलिफोन सूचित करें। परिवादी को कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने की हिदायत दी गई। परिवादी को रूखसत किया गया। मन् पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी टीम के भीलवाडा के लिये रवाना हुए। समय 10.15 पी.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान को पाबन्द कर रूखसत किया गया तथा रिश्वत राशि लेन-देन से संबंधित परिवादी व श्री सुशील साहू की वार्ता को श्री राजवीर कानि0 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर सूना गया तो बताया कि रिकॉर्ड वार्ता मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड नही होकर तकनिकी कारणों से सीधे ही डी.वी.आर. में रिकॉर्ड हुई है। कानि0 को उक्त रिकॉर्ड वार्ता को आईन्दा कार्यालय के कम्प्यूटर में संरक्षित करने के निर्देश दिये एवं डी.वी.आर. को मन् पारसमल उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया एवं रिश्वत राशि का लिफाफा मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 26.02.2026 समय 09.35 ए.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 25.02.2026 को परिवादी श्री कैलाश चन्द एवं संदिग्ध श्री सुशील साहू प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई वार्ता जो कार्यालय के डी.वी.आर. में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डी.वी.आर से कार्यालय के कम्प्यूटर में सेव करने के निर्देश दिये गये जिस पर श्री राजवीर कानि0 द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में सुरक्षित सेव किया गया। दिनांक 03.06.2026 समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री कैलाश चन्द उपस्थित कार्यालय आया तथा मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मैनें कानि0 श्री किशन कुमार से कई बार बातचीत करने के लिये थाने गया था और फोन पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन श्री किशन कुमार कानि0 ने मेरे से रिश्वत लेन-देन के संबंध मे कोई बातचीत नही की। इसके अलावा श्री सुशील साहू द्वारा भी मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध में कोई सम्पर्क नही किया, हो सकता है श्री किशन कुमार कानि0 को एसीबी कार्यवाही की शंका हो गई है। अब श्री किशन कुमार कानि0 मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगा। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनो स्वतन्त्र गवाहान को तलब किया गया। समय 02.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री जसवंत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अनिल कमार कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी कार्यालय भीलवाडा उपस्थित आये। जिनको कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री कैलाश चन्द व श्री सुशील साहू के मध्य दिनांक 25.02.2026 को हुई मोबाईल पर व रूबरू वार्ता जो कार्यालय के कम्प्यूटर में सुरक्षित है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को गवाहान को परिवादी के समक्ष कम्प्यूटर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी ने गवाहान के समक्ष एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज श्री सुशील साहू की होना बताया। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शब्द-ब-शब्द सुनकर श्री राजवीर कानि0 से तैयार करवाई गई तथा रिकॉर्ड वार्ताओं के 03 पेनड्राईव जिसमें एक पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बॉडी अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय हेतु तैयार किये गये पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क B दिया गया तथा आरोपी हेतु तैयार किये गये पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क B-1 दिया गया एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये पेनड्राईव को खुला रखा गया तथा शिल्ड् आर्टिकल पैकेट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 34 अंकित की गई। समय 09.15 पी. एम. पर परिवादी श्री कैलाश चन्द ने एक प्रार्थना पत्र मुझ उप अधीक्षक के समक्ष रिश्वति राशि 30,000/- रूपये लौटाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया। जिस पर गवाहान को उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया तथा रिश्वत राशि नोट 30,000/- रूपये को बदलवाकर परिवादी को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की समय 09.30 पी.एम. पर प्रकरण में शिल्ड् आर्टिकल्स में प्रयुक्त नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 34 का परिवादी एवं गवाहान को अवलोकन करवाकर कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुडवाकर नष्ट की गई जिसकी गवाहान के समक्ष फर्द नमूना व नाशानी सील पृथक से तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.06.2026 समय 09.45 पी.एम पर परिवादी श्री कैलाश चन्द व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बाद कार्यवाही के रूखसत किया गया तथा

ट्रेप कार्यवाही से संबंधित शिल्ड् आर्टिकल्स मार्क A, A-1 तथा B, B-1 को मालखाना इंचार्ज श्री रामपाल ए.एस.आई के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री कैलाशचन्द के अवैध बजरी परिवहन का केस नही बनाने की ऐवज में पुलिस थाना बिजयनगर में पदस्थापित श्री किशन कुमार कानिस्टेबल द्वारा परिवादी से 50000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 23.02.2026 को परिवादी श्री कैलाशचन्द को श्री किशन कुमार कानिस्टेबल के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री कैलाशचन्द व आरोपी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल के मध्य रूबरू हुई वार्ता अनुसार कानिस्टेबल श्री किशन कुमार कहता है कि अभी लाया क्या बीस, तीस, पचास तब परिवादी कहता है कि पचास तो कौने पांच तो पहले ही दे दिये तब आरोपी किशन कुमार कानिस्टेबल कहता है कि वो तो तेरे 151 का था आगे वार्ता में कहता है कि तेरे खुद के 3-4 ट्रेक्टर है 5-6 दिन चलायेगा तो तेरे माईनिंग वाईनिंग सब करवा दुंगा मेरे हाथ मे चार्ज आने दे एक बार सबको राजी रखना है। इस पर परिवादी कैलाशचन्द कहता है कि बता दिया मगर पोसाई थोडी सर इस पर आरोपी किशन कुमार कहता है कि अतरा कोनी थारे लिये 30-35 कोने ज्यादा 30-35 खुब है। इस प्रकार आरोपी किशन कुमार कानिस्टेबल ने परिवादी श्री कैलाशचन्द के थाने मे बंद ट्रेक्टर व परिवादी के खिलाफ मुकदमा टालने की ऐवज में तीस से पैतीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी को दिनांक 19.02.2026 को थाने में बंद करने (151 सीआरपीसी की कार्यवाही के दौरान) पर पांच हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व में लिया जाना पाया गया। तत्पश्चात एसीबी द्वारा दिनांक 25.02.2026 को रिश्वत राशि लेनदेन व ट्रेप कार्यवाही के समय आरोपी कानिस्टेबल श्री किशन कुमार को एसीबी कार्यवाही की शंका होने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में बातचीत करने के लिये अपने परिचित प्राईवेट व्यक्ति श्री सुशील साहू को भिजवाया गया। जिस पर परिवादी श्री कैलाश चन्द व प्राईवेट व्यक्ति श्री सुशील साहू के मध्य लेनदेन पूर्व मोबाईल पर व रूबरू हुई वार्तानुसार सुशील परिवादी को कहता है कि याके फोन का कर रियों, मै करूं थारे फोन फ्री होर, रूकजा अब (हिंदी रूपांतरण - तुम इनके फोन क्यो कर रहे हो, मै फ्री होकर तुम्हारे फोन करता हूं, रूक जा अभी) इस पर परिवादी से मौके पर ही उक्त व्यक्ति के संबंध में पूछा तो बताया कि इसका नाम श्री सुशील साहू है, जो श्री किशन कुमार जी कानिस्टेबल के लिये अवैध कार्यो की रिश्वत राशि वसूलता है और कलेक्शन करता है। आगे वार्ता में श्री सुशील साहू कहता है कि अई यान दे दो अडी (हिंदी रूपांतरण - इधर आकर दे दो)। इसके बाद में परिवादी कहता है कि वो जूते मारने की कह रहे है। तब श्री सुशील साहू कहता है कि बात करणी न करणी, बात करणी न, तो आ। इसके बाद परिवादी को 27 मील की तरफ बुलाता है। रिकार्ड वार्तानुसार परिवादी कहता है मंगाया है तो घर पडिया है, दो मिनट लागरिया, आ जाऊ मै तो लेर (हिंदी रूपांतरण - मंगाये है तो घर पडे है, दो मिनट लग रहे है, आ जाऊ मैं लेकर)। तब सुशील साहू कहता है कि सुबह आजा, डायरेक्ट मुंडा आगे, आजे बैठर बात करा देऊ (हिंदी रूपांतरण - सुबह आना और सीधा ही बात करा दूंगा मुंह के सामने ही)। तब परिवादी कहता है कि नही तो पछ लेर आऊ अबार याकी दाती खत्म मारै देख खाले सरसो काटबा जाणो ट्रेक्टर छुडाणो जरूरी हो रयो, घरका गालिया खांड रिया, देख ल,े तु लै जा र दे दे बात खत्म (हिंदी रूपांतरण - नही तो फिर लेकर आउं अभी और इनकी टेंशन खत्म मेरे देख, कल सरसों काटने जाना, ट्रेक्टर छुडाना जरूरी हो रहा है, घर के गालियां निकाल रहे है देख ले, तु ले जाकर दे दे बात खत्म)। जिस पर सुशील साहू कहता है लिया लिया, तत्पश्चात परिवादी कहता है ठीक है आयो लैर (हिंदी रूपांतरण - ठीक है लेकर आया)। तत्पश्चात परिवादी श्री कैलाश, श्री सुशील साहू से रूबरू वार्ता करता है लेकिन सुबह मिलने की कहकर रिश्वत राशि ग्रहण नही करता है। इस प्रकार आरोपी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल पुलिस थाना बिजयनगर जिला ब्यावर द्वारा परिवादी श्री कैलाशचन्द से दिनांक 19.02.2026 को थाने में बंद करने (151 सीआरपीसी की कार्यवाही के दौरान) पर पांच हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व में लिया जाना व मांग सत्यापन के दौरान 30-35 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। तत्पश्चात दिनांक 25.02.2026 को रिश्वत राशि लेनदेन व ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री किशन कुमार को ट्रेप कार्यवाही की शंका होने के कारण आरोपी नें रिश्वत राशि ग्रहण नही की। आरोपी श्री किशन कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध में वार्ता करने के लिये अपने परिचित श्री सुशील साहू को भिजवाया, जिसने परिवादी की आरोपी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल से रिश्वत राशि के संबंध में बैठकर बात कराने की कहा तथा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर 27 मील चौराहे पर बुलाकर बातचीत की गई तथा मौके पर रिश्वत राशि ग्रहण नही कर सुबह बात करने की कहा। आरोपी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल थाना बिजयनगर द्वारा अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर आपराधिक षडयंत्रपूर्वक परिवादी के विरूद्ध अवैध बजरी परिवहन का प्रकरण नही बनाने की ऐवज में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया तथा अपने परिचित श्री सुशील साहू को रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध में व ग्रहण करने के लिये भिजवाना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री किशन कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना बिजयनगर, जिला ब्यावर व आरोपी श्री सुशील कुमार साहू पुत्र श्री कैलाश चन्द साहू उम्र 30 वर्ष निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पास बरल 2 पुलिस थाना बिजयनगर जिला ब्यावर का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध घटित करना पाया जाता है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अशा), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर को कार्यालय पत्रांक 749 दिनांक 11.06.2026 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अशा), भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक भ्र.नि.ब्यूरो/अशा/3/26/7154-55 दिनांक 03.07.2026 से आरोपी श्री किशन कुमार कानि. पुलिस थाना बिजयनगर जिला ब्यावर व आरोपी श्री सुशील साहू प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया, जिसके अनुसार आरोपी का सही नाम पता श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गांधीराम उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05 ग्राम भगवान पोस्ट देईदास पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ हाल पुलिस कानिस्टेबल बेल्ट नं. 2966 पुलिस थाना विजयनगर जिला ब्यावर होना पाया जाने पर उक्त नाम (कृष्ण कुमार) से एफआईआर दर्ज करने का मुख्यालय से निर्णय करवाया गया। अतः आरोपी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गांधीराम उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05 ग्राम भगवान पोस्ट देईदास पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ हाल पुलिस कानिस्टेबल बेल्ट नं. 2966 पुलिस थाना विजयनगर जिला ब्यावर व आरोपी श्री सुशील कुमार साहू पुत्र श्री कैलाश चन्द साहू उम्र 30 वर्ष निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पास बरल 2 पुलिस थाना बिजयनगर जिला ब्यावर प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है।(पारसमल), उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम.........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गांधीराम उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05 ग्राम भगवान पोस्ट देईदास पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ हाल पुलिस कानिस्टेबल बेल्ट नं.2966 पुलिस थाना विजयनगर जिला ब्यावर व 2- श्री सुशील कुमार साहू पुत्र श्री कैलाश चन्द साहू उम्र 30 वर्ष निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पास बरल 2 पुलिस थाना बिजयनगर जिला ब्यावर प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 398 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1397-1400 दिनांक 24.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला ब्यावर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/08/2026 17:52:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				
2	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)